

राजस्थान सरकार
उपनिवेशन विभाग

क्रमांक : प.3(10)उप/2023

जयपुर, दिनांक : 22-06-2026

अधिसूचना

यतः राज्य सरकार द्वारा पूर्व अधिसूचना क्रमांक प.10(02)उप/2018 जयपुर, दिनांक 17.04.2018 से तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर के इंदिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र के 23 ग्रामों/चकों के अभिलेखों का सामान्य पुनरीक्षण प्रारम्भ किये जाने के निर्देश दिये गये थे;

और यतः तहसील सूरतगढ़ के उक्त 23 ग्रामों/चकों में से 15 ग्रामों/चकों के अभिलेखों का सामान्य पुनरीक्षण का कार्य पूर्ण हो जाने के कारण राज्य सरकार की पूर्व अधिसूचना क्रमांक प. 3(10)उप/2023 दिनांक 01.10.2025 द्वारा सामान्य पुनरीक्षण का कार्य बंद किया जा चुका है;

और यतः तहसील सूरतगढ़ के शेष 8 ग्रामों/चकों में से नीचे दी गई सारणी में वर्णित एक ग्राम/चक के अभिलेखों का सामान्य पुनरीक्षण का कार्य पूर्ण हो चुका है तथा अधिसूचना क्रमांक प. 3(10)उप/2023 दिनांक 15.06.2026 द्वारा सामान्य पुनरीक्षण का कार्य पूर्ण किये जाने के निर्देश प्रदान किये जा चुके हैं;

अतः एव राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम सं. 15) की धारा 108 तथा 260 की उप-धारा (1) के उप-खण्ड (ख) सपठित राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम, 1954 (1956 का अधिनियम सं. 27) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार एतद्वारा तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर के इंदिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र के शेष 8 ग्रामों/चकों में से नीचे दी गई सारणी में वर्णित एक ग्राम/चक के लिए उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ की अतिरिक्त भू अभिलेख अधिकारी एवं तहसीलदार सूरतगढ़ की सहायक भू अभिलेख अधिकारी के रूप में अधिसूचना क्रमांक प.10(02)उप/2018 दिनांक 27.07.2019 के द्वारा की गई नियुक्ति को प्रत्याहृत करती है।

सारणी

क्र. सं.	ग्राम/चक	नवसृजित ग्राम
1.	मालेर	1 एमआरएम 15 पीएचएम 10 पीएचएम ए 11 पीएचएम 12 पीएचएम

राज्यपाल की आज्ञा से,

-sd-

(जयवीर सिंह)

शासन उप सचिव

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ, पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. निबन्धक, राजस्व मण्डल अजमेर
2. आयुक्त भू-प्रबन्ध, जयपुर
3. जिला कलक्टर श्रीगंगानगर
4. अधीक्षक, केन्द्रीय मुद्रणालय, राजस्थान जयपुर को प्रेषित कर निवेदन है कि राजस्थान राजपत्र के आगामी अंक में शीघ्र प्रकाशित कर विज्ञप्ति की प्रति इस विभाग एवं आयुक्त भू-प्रबन्ध विभाग राजस्थान जयपुर तथा जिला कलक्टर श्रीगंगानगर को भिजवाने का कष्ट करें।
5. भू-प्रबन्ध अधिकारी, बीकानेर।

6. रक्षित पत्रावली।

7. मास्टर गार्ड फाइल।

शासन उप सचिव